मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्र. सी/6-1/2004/3/एक

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकने हेतु, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14(2) में संशोधन.

उपर्युक्त विषय में सामान्य प्रशासन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-3-2005 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (2) में संशोधन किया गया है जिसकी प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है.

हस्ता./-

(आर. सी. श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 85, भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 मार्च 2005—फाल्गुन 26, शक 1926 में प्रकाशित

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2005

क्र. सी-6-1-2004-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 14 में, उपनियम (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि, जहां यौन उत्पीड़न की शिकायत, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 के उपनियम (3) के अभिप्राय के अन्तर्गत आती हो, वहां प्रत्येक विभाग अथवा कार्यालय में ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए गठित की गई शिकायत समिति को, ऐसे नियमों के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया जांच प्राधिकारी समझा जाएगा और यदि, यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत समिति के लिए कोई पृथक् प्रक्रिया विहित नहीं की गई है तो शिकायत समिति जहां तक साध्य हो, इन नियमों में अधिकथित की गई प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष डाफणे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2005

क्र. सी-6-1-2004-3-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-6-1-2004-3-एक, दिनांक 17 मार्च 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष डाफणे, उपसचिव.

Bhopal, the 17th March 2005

No. C-6-1-2004-3-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely:—

AMENDMENT

In the said Rules, in Rule 14, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of sub-rule (3) of

Rule 22 of the Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965, the complaints committee established in each Department or Office for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority for the purpose of these rules and the complaints committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the complaints committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry as far as practicable in accordance with the procedure laid down in these rules.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SUBHASH DAFNEY, Dy. Secy.